

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरु)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.09.2023"

मंजू राठौड़ बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

न.मु.- 61/2023 जीसीएमएस संख्या- 2023/114

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही गय इनिशियलरा जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

09.9.2023

यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थनी मंजू राठौड़ पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खारा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम खारा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 16 में मन्जूकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खारा खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थनी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मंजू राठौड़ पुत्री भंवरसिंह है। प्रार्थनी का नाम मंजू राठौड़ पुत्री भंवरसिंह किये जाने का आदेश फरमावे।


प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही खारा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 16 में मंजू राठौड़ पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खारा खातेदार दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू. अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थनी का नाम मंजू राठौड़ पुत्री भंवरसिंह है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेजात, एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 16 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-


क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	खारा	16 (नया)	मन्जूकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खारा खातेदार	मंजू राठौड़ पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खारा खातेदार

राहिन की प्रविष्टि (अगर कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को लिखा जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


सदस्य

लोक अदालत
पैनल सुजानगढ़ (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़


अध्यक्ष
लोक अदालत
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़




उपखण्ड अधिकारी
रेवन्यू सुजानगढ़ (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़